भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1026
(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

शेयर बाजार निवेश शिक्षा

1026. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सम्पूर्ण देश में पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों (व्यक्ति/निगमित निकाय/साझेदार कंपनियां और अन्य) की कुल संख्या का आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर तथा एलुरु जिलों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में शेयर बाजार के निवेशकों, विशेषकर नौसिखियों को सूचित/शिक्षित करने हेतु शुरू की गई विभिन्न पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर तथा एलुरु जिलों सहित सम्पूर्ण देश में शेयर बाजार निवेशकों को सूचित और शिक्षित करने के लिए पहल आरंभ करने हेतु लाभार्थियों की कुल संख्या, सरकार द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे निवेशकों की सहायता करने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और निपटाई गईं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): शेयर बाजार निवेशकों के लिए डिपॉजिटरी में खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से कारोबार करना अपेक्षित है। अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, डिपॉजिटरों वाले पंजीकृत कुल 11.82 करोड़ एकल डीमैट खाताधारक हैं। नेल्लोर और एलुरु जिले के आंकड़ों के साथ आंध्र प्रदेश सहित पिछले पांच वर्षों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-क** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और विभिन्न अन्य बाजार की मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से निवेशक संबंधी जागरूकता और शिक्षण बढ़ाने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ भारतीय म्यूचुअल फंड संघ (एएमएफआई) निवेशक शिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित करता है। नवनिवेशकों (बिगिनर) सहित सभी निवेशकों के लिए इन सभी कार्यक्रमों में विभिन्न विषय शामिल होते है जैसे कि मूलभूत निवेश सिद्धांत, उत्पाद विशेषताएं, निहित जोखिम, निवेश अधिकार और उत्तरदायित्व, निवेश संबंधी जालसाजी के आम बिंदु आदि। ये कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में नि:शुल्क संचालित किए जाते हैं।

गत पांच वित्तीय वर्षों में संचालित किए गए निवेश जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या और प्रतिभागियों की कुल संख्या तथा वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार विवरण **अनुलग्नक ख** में संलग्न हैं।

सेबी निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि (आईपीईएफ) का प्रबंधन करता है, जो सेबी द्वारा शुरू किए गए निवेश शिक्षा पहलों हेतु वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है। गत पांच वर्षों के दौरान सेबी-आईपीईएफ से किए गए व्यय का विवरण **अनुलग्नक ग** में दिया गया है।

(घ): सेबी ने 2011 में एक **सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर)** स्थापित की है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे निवेशकों को सेबी विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दक्षिणी क्षेत्र (जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है) से प्राप्त और समाधान कर ली गई शिकायतों का विवरण **अनुलग्नक घ** में दिया गया है।

***

अनुलग्नक-क

डिपॉजिटरी में विशिष्ट डीमैट खाताधारकों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024 (अक्तूबर तक)
1	अंडमान और निकोबार	4,225	9,232	13,757	19,009	26,136
2	**आंध्र प्रदेश**	**16,06,211**	**23,82,241**	**29,54,213**	**34,45,725**	**41,15,419**
3	अरुणाचल प्रदेश	7,765	16,278	25,526	36,989	54,941
4	असम	3,19,138	12,44,581	17,34,969	21,72,512	26,81,627
5	बिहार	9,63,054	18,87,782	27,84,847	37,96,966	50,41,326
6	चंडीगढ़	1,20,650	1,62,489	1,98,160	2,37,823	2,85,998
7	छत्तीसगढ़	3,24,933	5,49,259	7,82,483	10,58,954	13,90,502
8	दादरा नगर हवेली; दमन-दीव	22,015	35,885	47,712	63,701	78,971
9	दिल्ली	22,08,377	29,99,812	37,35,923	44,97,915	53,94,743
10	गोवा	1,04,068	1,46,226	1,80,795	2,15,837	2,65,546
11	गुजरात	46,61,213	61,82,832	73,22,188	86,84,772	1,05,90,681
12	हरियाणा	12,63,016	19,99,307	26,39,296	33,33,875	41,48,889
13	हिमाचल प्रदेश	1,69,687	3,13,948	4,42,174	5,86,152	7,67,869
14	जम्मू और कश्मीर	1,24,470	2,22,916	3,17,193	4,38,810	6,09,509
15	झारखंड	5,83,952	9,50,067	12,78,666	16,49,293	20,99,792
16	कर्नाटक	25,03,499	36,42,884	45,47,964	54,32,797	66,03,290
17	केरल	13,34,537	17,64,379	21,22,175	24,80,993	30,09,842
18	लद्दाख	802	2,387	4,092	6,449	9,837
19	लक्षद्वीप	252	589	948	1,414	2,129
20	मध्य प्रदेश	13,04,444	25,37,020	35,89,501	46,61,185	58,44,469
21	महाराष्ट्र	80,07,956	1,16,64,436	1,45,53,923	1,72,37,636	2,03,16,543
22	मणिपुर	30,883	60,359	78,314	93,022	1,24,166
23	मेघालय	15,310	28,722	40,709	54,355	73,663
24	मिजोरम	3,566	6,761	9,937	15,574	24,055
25	नागालैंड	10,114	18,222	27,131	37,333	54,679
26	ओडिशा	5,85,490	11,70,775	16,46,029	20,70,269	25,51,994
27	पुदुचेरी	38,150	55,702	71,203	88,869	1,10,150

28	पंजाब	8,92,595	13,57,238	18,43,397	24,41,151	31,05,842
29	राजस्थान	18,44,108	32,40,092	43,25,454	54,90,528	69,59,307
30	सिक्किम	9,090	15,323	21,527	28,564	39,862
31	तमिलनाडु	26,93,148	35,47,986	43,73,995	53,04,910	63,88,793
32	तेलंगाना	15,40,068	23,17,330	28,76,421	33,44,456	39,52,008
33	त्रिपुरा	35,124	64,071	91,189	1,26,647	1,75,242
34	उत्तर प्रदेश	29,85,958	51,26,133	74,64,485	1,01,62,282	1,33,88,996
35	उत्तराखंड	2,95,141	5,15,237	7,14,675	9,43,598	12,30,536
36	पश्चिम बंगाल	22,74,313	31,23,601	40,79,464	52,11,658	67,29,828
37	सेना डाक सेवाएँ	31	45	79	81	93
	कुल	**3,88,87,353**	**5,93,62,147**	**7,69,40,514**	**9,54,72,104**	**11,82,47,273**

नेल्लोर में विशिष्ट निवेशक (पिन कोड के अनुसार) *(केवल पहले धारक के पैन पर विचार करते हुए विशिष्ट डीमैट खाता)*					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024** (अक्तूबर तक)
नेल्लोर	92,972	1,39,095	1,71,087	2,00,181	2,38,895

एलुरु में विशिष्ट निवेशक (पिन कोड के अनुसार) *(केवल पहले धारक के पैन पर विचार करते हुए विशिष्ट डीमैट खाता)*			
	(अप्रैल से दिसंबर) 2022	**2023**	**2024 (अक्तूबर तक)**
एलुरु	63,032	74,016	88,784

** चूंकि एलुरु जिले को अप्रैल 2022 में पश्चिम गोदावरी जिले से अलग किया गया था, इसलिए निवेशक डेटा अप्रैल 2022 के बाद से प्रदान किया गया है:*

अनुलग्नक-ख

संचालित निवेशक जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या और प्रतिभागियों की कुल संख्या

विवरण	जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
वित्त वर्ष 2023-24 (*)	43,826	27,93,653
वित्त वर्ष 2022-23	17,615	6,47,618
वित्त वर्ष 2021-22	11,908	5,74,723
वित्त वर्ष 2020-21	2,371	2,16,047
वित्त वर्ष 2019-20	23,670	7,57,506

(*) इसमें सेबी की समग्र देखरेख में बाजार अवसंरचना संस्थाओं (एम. आई. आई.) द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (एएमएफआई) तथा आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या भी शामिल है।

निवेशक जागरूकता और शिक्षा गतिविधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निवेशक जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम			
		वित्त वर्ष 2023-24**		वित्त वर्ष 2022-23	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	महाराष्ट्र	9,138	5,54,865	1,445	58,680
2	उत्तर प्रदेश	4,548	2,48,054	3,917	1,22,413
3	गुजरात	4,023	3,14,620	1,439	54,768
4	मध्य प्रदेश	3,239	1,76,188	1,030	39,452
5	राजस्थान	2,787	1,62,390	385	15,913
6	तमिलनाडु	2,399	1,58,449	913	33,186
7	कर्नाटक	2,239	1,57,550	257	10,044
8	पश्चिम बंगाल	1,979	1,14,951	706	38,282
9	दिल्ली	1,346	78,058	298	13,143
10	हरियाणा	1,166	67,897	846	24,376
11	पंजाब	1,156	66,437	269	10,803
12	ओडिशा	1,104	64,555	1,221	36,957
13	**आंध्र प्रदेश**	**1,077**	**55,823**	**482**	**20,097**
14	केरल	928	54,508	601	24,876
15	बिहार	812	44,197	1,096	37,392
16	तेलंगाना	805	48,335	248	10,987
17	हिमाचल प्रदेश	791	40,813	170	6,193
18	झारखंड	727	44,026	618	22,927
19	छत्तीसगढ़	660	40,144	47	2,526
20	जम्मू कश्मीर	575	29,434	685	25,176
21	उत्तराखंड	558	32,337	452	16,732

22	असम	521	29,606	252	9,440
23	गोवा	185	12,414	30	2,614
24	चंडीगढ़	125	7,358	23	1,458
25	त्रिपुरा	73	3,716	3	217
26	मेघालय	47	3,005	2	176
27	सिक्किम	46	2,554	9	866
28	अरुणाचल प्रदेश	35	2,401	45	1,268
29	नगालैंड	34	1,939	46	1,835
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	29	1,829	1	180
31	पुडुचेरी	27	2,396	7	495
32	मणिपुर	21	976	4	612
33	मिजोरम	21	1,544	6	768
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	1,605	2	90
35	लद्दाख	15	552	-	-
36	लक्षद्वीप	4	157	-	-
37	अखिल भारत *	568	1,67,970	60	2,676
	कुल	**43,826**	**27,93,653**	**17,615**	**6,47,618**
*- इसमें वे कार्यक्रम शामिल हैं जो सभी प्रतिभागियों के लिए खुले हैं, और किसी भी राज्य के लिए विशिष्ट नहीं हैं।					

** कोविड-19 महामारी के कारण, अधिकांश निवेशक जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ऑनलाइन आयोजित किए गए थे और ये कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी भागीदारी के लिए खुले थे। इसलिए इन्हें किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्मुख निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष (सेबी-आईपीईएफ)

वित्त वर्ष	**आईपीईएफ व्यय (₹ करोड़ में)**
वित्त वर्ष 2019-20	11.84
वित्त वर्ष 2020-21	28.84
वित्त वर्ष 2021-22	06.81
वित्त वर्ष 2022-23	11.93
वित्त वर्ष 2023-24	02.78

अखिल भारतीय और दक्षिणी क्षेत्र (जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है) के लिए पिछले पांच वर्षों में प्राप्त और हल की गई कुल शिकायतों का विवरण।

वित्त वर्ष	**शिकायतें प्राप्त हुईं (अखिल भारतीय)**	**शिकायतें प्राप्त हुईं (दक्षिणी क्षेत्र)**	**शिकायत निवारण (अखिल भारतीय)**	**शिकायत निवारण (दक्षिणी क्षेत्र)**
2019-2020	55,526	एनए	39,624	एनए
2020-2021	58,873	7,815	50,425	4,713
2021-2022	42,694	5,403	48,883	6,343
2022-2023	34,752	4,069	39,062	5,304
2023-2024	44,599	5, 568	43,191	5,390

स्रोतः सेबी की वार्षिक रिपोर्ट

***